<u>प्रेस नोट-</u>
<u>थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी</u>

<u>दिनाँक 03.07.2025</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया गया भंडाफोड़,**
- **पुलिस मुठभेड़ में 01 घायल सहित 05 बदमाश (अन्तर्राज्यीय शातिर वाहन चोर) गिरफ्तार,**
- **चोरी की 21 मोटर साइकिल (कीमत करीब 15,00,000/- रुपये), घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा-कारतूस व अर्टिका (चार पहिया वाहन बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 03.07.2025 को समय करीब 17:00 बजे थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा चेंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान उन्नाव बालाजी रोड़ भोजला ग्राम के आगे ग्राम आरी मोड़ के सामने लकारा नहर रोड़, थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत मोटर साइकिल सवार बदशामों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में बदमाश अरविन्द कुमार शाक्या पुत्र मोहन प्रसाद शाक्या उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बहादुरपुर थाना सिविल लाइन, जिला दतिया (म0प्र0) के दाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। बदमाश अरविन्द शाक्या को हिरासत में लेकर जीवन रक्षार्थ मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया तथा उसके साथी रामजी कुशवाहा उपरोक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोटर साइकिलों की चोरी करता है और उसके साथी सूती मिल चौराहे पर अर्टिका गाड़ी में हैं। जिस पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक सूती मिल चौराहा पहुँचकर अभियुक्त रामजी कुशवाहा के निशादेही पर 03 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर चोरी की 21 मोटर साइकिल बरामद की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 19.06.2025 थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत आर्य कन्या चौराहा जलसा मॉडल शॉप से एक अपाचे मोटर साइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस की कई टीमें गठित की गयी थी। पुलिस टीमों द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा था।

जिसके क्रम में आज दिनाँक 03.07.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस का मोटर साइकिल सवार बदमाशों के साथ हुये मुठभेड़ में अभियुक्त अरविन्द व रामजी को गिरफ्तार किया गया। रामजी कुशवाहा से मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल दिनाँक 19.05.2025 को जलसा मॉडल शॉप से चोरी की है। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोटर साइकिलों की चोरी करता है। जो सूती मिल तिराहे पर अर्टिका (MP07 ZW7750) में है। पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक सूती मिल चौहारा पहुँचकर रामजी कुशवाहा के निशादेही पर इसके 03 अन्य साथी विशाल, सुरेन्द्र व कमल पाल

उपरोक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि वे सभी अपने एक अन्य साथी दीपक यादव पुत्र स्वरुप यादव निवासी बड़ौनी, थाना बड़ौनी, जिला दतिया (म0प्र0) के साथ मिलकर मोटर साइकिलों की चोरी करते है। उक्त अर्टिका (MP07 ZW7750) दीपक यादव के चाचा की है।

दीपक यादव को दिनाँक 23.06.2025 को थाना दतिया पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में जेल भेज दिया गया है। वे सभी सम्मिलित रुप से म0प्र0 व उ0प्र0 में मोटर साइकिलों की चोरी कर उनको बेंच देते है। इसके लिए वे पहले उक्त वाहन अर्टिका से जाते हैं और भीड़-भाड़ वाले स्थान पर वाहन को खड़ा कर देते है। तत्पश्चात दीपक तथा अरविन्द मोटर साइकिल को उठा लेते और लाकर गिरोह के अन्य लोगों को दे देते है। जिनका काम ग्राहक ढूँढ कर मोटर साइकिलों को बेचना होता है। इनके द्वारा चोरी की गयी अधिकतर मोटर साइकिल म0प्र0 के जिला छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ में बेचा जाता है। ये पहले ग्राहक ढूँढ कर मोटर साइकिल का दाम तय करते है फिर आधी रकम पहले तथा आधी रकम मोटर साइकिल का कागज (रजिस्ट्रेशन) देने के बाद देने को कहकर आधी दाम पर ही मोटर साइकिल बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर अपराधी है, जिनके विरुद्ध वाहन चोरी आदि के 40 से अधिक अभियोग अलग-अलग थानों में पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अरविन्द कुमार शाक्या पुत्र मोहन प्रसाद शाक्या उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बहादुरपुर थाना सिविल लाइन, जिला दतिया (म0प्र0) (घायल)
2. रामजी कुशवाहा पुत्र अशोक कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी चन्द्रपुरा, थाना ओरछा, जिला निवाड़ी (म0प्र0)
3. विशाल यादव पुत्र अच्छेलाल यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी चन्द्रपुरा, थाना ओरछा, जिला निवाड़ी (म0प्र0)
4. सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र धनी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी चन्द्रपुरा, थाना ओरछा, जिला निवाड़ी (म0प्र0)
5. कमल पाल पुत्र नत्थूपाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बड़ौनी, थाना बड़ौनी, जिला दतिया (म0प्र0)

बरामदगी- चोरी की 21 मोटर साइकिल (कीमत करीब 15,00,000 रुपये) अभियुक्त अरविन्द से 01 तमंचा देशी 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार व उनकी टीम

सोशल मीडिया सेल
जनपद-झाँसी